



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-539/MH/22/2022-ESDW

दिनांक: 01.02.2023

सेवा में,

श्री अशोक एम. नेते,
माननीय सांसद (लोकसभा),
गड़चिरोली-चिमुर्, महाराष्ट्र,
कननामवर नगर, वार्ड नं.-23,
चमोरशी रोड,
जिला-गड़चिरोली,
महाराष्ट्र


विषय: गोंडवाना विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र स्थित आदिवासी जनजातीय युवकों के उत्थान हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में श्री अशोक एम. नेते, माननीय सांसद (लोकसभा), गड़चिरोली-चिमुर् (महाराष्ट्र), का दिनांक 26.07.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 17.02.2023 को अपराह्न 11:00 बजे, आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी